कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़ देहरादून।

E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2577/12-1 : देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/42515/2019)**

सन्दर्भः– आपके कार्यालय की पत्रांक संख्या– 1425(1)X–3320/1(154), 2020, दिनांक 07.10.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक संख्या–2782/12–1 दिनांक 10.01.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्रांक–1859/1सी0 (वन) दिनांक 29.9.2021 की छायाप्रति मयसंलग्नकों सहित 08 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायगी।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 3,94,200.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 17.03.2021 को जमा की जा चुकी है। **(सलग्नक–1 एवं 3 के अनुसार)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिटपीटिशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि रू0 1,33,100.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 को जमा की जा चुकी है। **(सलग्नक–1 एवं 3 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि एनपीवी की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।**(सलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या– संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 3.94.200.00

	निधियों के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरशन बैंक भारत सरकार का उपक्रम ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कम्प्लैक्स फेज–1 लोधी रोड़, नई दिल्ली में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 1,33,100.00 कुल धनराशि रू0 5,27,300.00 ऑनलाईन पोर्टल से जनरेट किये गये चालान के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 को जमा की गयी है। **(सलग्नक–3) आनलाईन पोर्टल से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(सलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र पूर्व में प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये गये हैं, जिन्हें पुनः संलग्न कर प्रेषित है। **(सलग्नक–5)**
7	प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **शर्त मान्य है।**
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **शर्त मान्य है।**

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत प्रकरण को विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2577 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Gen Lett.

कार्यालय उन वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 2782 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 10/01/ 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/42515/2019**

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर के कार्यालय के पत्रांक 1874 / 1सी0 वन, दिनांक 13.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2319 / 12–1, दिनांक 31.12.2019 द्वारा आपके कार्यालय को प्रस्ताव की 03 प्रतियों में आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया। वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1425(1)X-3320/1(154)2020, दिनांक 07.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गई। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 3040 / 12–1, दिनांक 30.10.2021 द्वारा आपके कार्यालय को 03 प्रतियों में प्रेषित की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः आपके कार्यालय को इस पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(तरूण एस0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

(तरूण एस0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
e/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

1859 / 1सी0 (वन) दिनांक 29/ 09/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/42515/2019)**

वन अनुभाग–3,उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सं0–1425 (1)X-3-20/1 (154) 2020 दिनांक 07.10.2020

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में ाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी द्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

ं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रू0 394200.00 ऑनलाइन चॉलान के माध्यम से दिनांक 17.03.2021 को जमा की जा चुकी है। **संलग्न 1– चालॉन की मूल प्रति।**
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0एस0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0एस0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 133100.00 ऑनलाइन चालॉन के माध्यम से दिनांक 17.03.2021 को जमा की जा चुकी है। (संलग्न 1 के अनुसार)
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। **संलग्न 2– एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।**

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 - म्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 394200.00 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 133100.00 कुल रू0 527000.00 ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट किये गये चालॉन के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 को जमा की गयी है। **संलग्न 3– ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त payment history की प्रति।**
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। **संलग्न 4– जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।**
प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अनिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र पूर्व में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या– 763/FP UK ROAD 42515 /2019 दिनांक 8.09.2020 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ अपर सचिव, वन अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जा चुके है **संलग्न 5– वन अधिकार अधिनियम, 2006 के आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति।**
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति [illegible] की [illegible]	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– अनुपालन आख्या 4 प्रतियो मे।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वाण)
अधिशासी अभियन्ता
29/9/2021 29/9

पत्रांक 1859 /1 सी0 वन तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
29/9/2021 29/9

O/C

संलग्नक (1)
Attach 1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6142515237
MoEF/SG File No.	1(154)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	527300/-

394200=00
133100=00
527300=00

Amount in Words :Five Lakh Twenty-Seven Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896142515237 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

सत्यापित

संलग्नक-2

Attach 2

शर्त संख्या–3

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बडोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर
29/9/2021

IK/ROAD/42515/2019 lewreport.aspx? FP/UK/ROAD/42515/2019) aprayag Nauti Paithani o Koli Bhatoli M/R	ROAD425152019237	6142515237	07 Oct 2020	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 133100/-, Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Road side/gap filling plantation: 394200/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 527300/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 10 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 12 Mar 2021 Transaction Date: 17 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31111238121...) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan... pid=ROAD425152019237)
R...D/31821/2018 ...aspx? /...ROAD/31821/2018) District Plan ,New ction of road fr..m o sainj	ROAD318212018946	6131821946	18 May 2020	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 262800/-, Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Road side/gap filling plantation: 1064800/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1327600/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 23 Dec 2020 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 13 Feb 2021 Transaction Date: 20 Feb 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112112...) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan... pid=ROAD318212018946)
...AD/19786/2016 ...port.aspx? ...(/ROAD/19786/2016) ...iwari-Khet-Silangi	ROAD197862016439	6119786439	06 Sep 2018	CA: 1722150/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2030130/-, Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3752280/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 31 Jan 2019 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 01 Feb 2019 Transaction Date: 05 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11129...) Generated Challan (../UserAccount/... pid=ROAD197862016439)

133100
394200
527300

संलग्नक-3

संलग्नक (5)

Annex 4

शर्त संख्या 5

योजना का नाम:—	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से कान्डी मटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

भू—वैज्ञानिक की संस्तुतियों/ सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक द्वारा दिये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर

संलग्नक-5

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 कुल 0.600 हे0 सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– भटोली
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल भूमि** एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.230 हे0 सिविल भूमि का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **भटोली** द्वारा दिनांक 1/9/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भटोली** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम सभा
कोली भटोली

प्रतिहस्ताक्षरित
[signature]
A.E.

ह0/– [signature]
ग्राम प्रधान

[stamp: ग्राम पंचायत ... विकासखण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)]

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1/3/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – भटोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामबासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरिसिंह S/ रघुनाथसिंह	[illegible]
2	उपेन्द्रसिंह S/o जगडासिंह	[illegible]
3	दयालसिंह सौकानाराम	दयालसिंह
4	महिपाल सिंह गोविन्दसिंह	[illegible]
5	रघुवीरसिंह कलमसिंह	[illegible]
6	दमानसिंह S/o चन्द्रसिंह	दरमान सिंह
7	धनसिंह S/o [illegible]	धनसिंह
8	कुलभानसिंह S/o रणजीतसिंह	कुलभानसिंह
9	त्रिलोकसिंह S/o दरबानसिंह	त्रिलोकसिंह
10	सुरेन्द्र सिंह S/o बलवन्त सिंह	[illegible]
11	नरेन्द्र सिंह S/o गुलाब सिंह	नरेन्द्र सिंह
12	चरण सिंह पंवार S/o ध्यान सिंह	[illegible]
13	भवान सिंह पंवार S/o मदन सिंह पंवार	भवान सिंह
14	सतेन्द्र सिंह पंवार S/o भवान सिंह	[illegible]
15	मान सिंह पंवार S/o गबर सिंह	[illegible]
16	कलेश्वरी देवी W/o प्रेम लाल	कलेश्वरी देवी
17	भावना देवी W/o शेर सिंह	भावना देवी
18	उमराव सिंह नेगी S/o कुंवर सिंह	उमरावसिंह
19	कुंवर सिंह पंवार S/o [illegible] सिंह	कुंवरसिंह
20	सतेन्द्र सिंह नेगी S/o बलवन्त सिंह नेगी	[illegible]

ह0 / – [signature]
ग्राम प्रधान

प्रति सत्यापित
[signature]

[stamp: ग्राम पंचायत ... दिनांक ...] [signature]

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 कुल 0.600 हे0 सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– झुरकण्डे उर्फ भटोली
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **0.350 हे0 वन पंचायत भूमि** एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **झुरकण्डे उर्फ भटोली** द्वारा दिनांक....2/3/2019........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **झुरकण्डे उर्फ भटोली** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 2/3/2019............को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – झुरकण्डे उर्फ भटोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21	भजन सिंह S/O गब्बर सिंह नेगी	[signature]
22	श्याम सिंह S/O जीत सिंह	श्याम सिंह
23	भरत सिंह S/O विजय सिंह	भरत सिंह
24	अशोक कुमार S/O माधवानन्द	[signature]
25	भगवती सिंह S/O बाग सिंह	[signature]
26-	रामू मिश्रा S/O महानन्द	रामू प्रसाद
27-	किशोरीलाल S/O हीरा वल्लभ	किशोरी लाल
28-	संतोष कुमार S/O विश्वम्भर प्रकाश	[signature]

ह0/- [signature]
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत भटोली
हस्ताक्षर [signature]
दिनांक
विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रति हस्ताक्षरित
A.D.O.
पं0

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग** के नवनिर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0, अर्थात कुल 0.600 हे0 सिविल /वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 29/05/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ~~जी0आर0 बिनवाल~~ देवानन्द उपजिलाधिकारी........................ अध्यक्ष

2– श्री [हस्ताक्षर] उप प्रभागीय वनाधिकारी [हस्ताक्षर] ——सदस्य

3– श्री [हस्ताक्षर] सहायक समाज कल्याण अधिकारी—[हस्ताक्षर] सदस्य/सचिव

4– श्री [हस्ताक्षर] बी0डी0सी0 क्षेत्र —————— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.600 हे0 सिविल/ वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर**, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा डिम्मर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से कोली–भटोली तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.600 हे0 सिविल/ वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

Dated--16.09.2019

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.600** hectares of Civil/ Vanpanchayat land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Koli-Bhatoli Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction " Bhatoli and Jhurkandai urf Bhatoli, in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Bhatoli and Jhurkandai urf Bhatoli ' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला अधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 16:09:19 at time 03:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.840 hect for the construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Koli-Bhatoli Motor road**" and forest land 0.600 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 16:09:19

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिलाधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिला प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली (गोपेश्वर)